



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04022021-224939
CG-MH-E-04022021-224939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]
No. 55]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 4 फरवरी, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए. डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,—
 - I. विनियम 2, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (ग) के उप-खंड (i) में, शब्द "न्यासी" के पश्चात् और शब्दों "पर नियंत्रण" से पूर्व, शब्द तथा चिह्न "या प्रायोजक (स्पॉन्सर)" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- ii. खंड (ग) के उप-खंड (ii) में, शब्द “न्यासी”के पश्चात् और चिह्न तथा शब्दों “, प्रत्यक्ष या परोक्ष”से पूर्व, शब्द तथा चिह्न “या प्रायोजक (स्पॉन्सर)”अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- iii. खंड (ग) के उप-खंड (iii) में, शब्दों “जिसका निदेशक”के पश्चात् और चिह्न तथा शब्दों “, अधिकारी या कर्मचारी”से पूर्व, चिह्न तथा शब्द “(स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर)”अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- iv. खंड (घ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 “(घ) “आस्ति प्रबंध कंपनी” (असेट मैनेजमेंट कंपनी) से वह कंपनी अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत बनाई गई हो और रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) हो तथा जिसे विनियम 21 के उप-विनियम (2) के तहत बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो;”
- v. खंड (ङ) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) नियम, 1992”, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992”से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- vi. खंड (ङक) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 “(ङक) पूँजी संरक्षण उन्मुख (कैपिटल प्रोटेक्शन ऑरिएन्टेड) स्कीम से वह म्यूचुअल फंड स्कीम अभिप्रेत है जो पूँजी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही बनाई गई हो, और जिसका पोर्टफोलियो ऐसा बनाया गया हो कि स्कीम में निवेश की गई पूँजी सुरक्षित रह सके;”
- vii. खंड (छ) का उप-खंड (i) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 “(i) कंपनी के मामले में कोई व्यक्ति जो, या तो अकेले या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसी कंपनी के कम से कम 10% मताधिकार वाले शेयरों का मालिकाना हक रखता हो या उन पर नियंत्रण रखता हो या उन्हें धारण करता हो; या”
- viii. खंड (छ) का उप-खंड (ii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 “(ii) दो कंपनियों में, यदि एक ही व्यक्ति, या तो अकेले या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के कम से कम 10% मताधिकार वाले शेयरों का मालिकाना हक रखता हो या उन पर नियंत्रण रखता हो या उन्हें धारण करता हो; या”
- ix. खंड (ज) में, शब्द “अभियोजन की परिसीमा”, शब्दों “परिसीमा का लागू न होना”से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- x. खंड (ज) के पश्चात् और खंड (ट) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -
 “(जक) “इक्विटी संबद्ध लिखतों” में संपरिवर्तनीय डिबेंचर (कन्वर्टिबल डिबेंचर), संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर (कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर), वारंट (जिनसे इक्विटी शेयर प्राप्त करने का अधिकार मिलता हो), इक्विटी डेरिवेटिव और ऐसा अन्य लिखत (इंस्ट्रुमेंट) शामिल है जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए;
 (जख) “एक्सचेंज व्यापारित निधि” (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) से वह म्यूचुअल फंड स्कीम अभिप्रेत है जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में उसी अनुपात में निवेश करती है जिस अनुपात में प्रतिभूतियाँ सूचकांक (इंडेक्स) में शामिल होती हैं; और एक्सचेंज व्यापारित निधि की यूनितों को अनिवार्य रूप से एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करना होता है और उनमें ट्रेडिंग भी की जाती है;”

- xi. खंड (ड) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 “(ड) “कपट” से वह कपट अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में परिभाषित है;”
- xii. खंड (डड) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 “(डड) “समूह” से वह समूह अभिप्रेत है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में परिभाषित है।”
- xiii. खंड (थ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 “(थ) “म्यूचुअल फंड” (पारस्परिक निधि) से वह फंड अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़), मुद्रा बाजार के लिखतों (मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स), सोने या सोने से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स), रियल इस्टेट आस्तियों (असेट्स) और ऐसी अन्य आस्तियों तथा लिखतों, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ, में निवेश करने के लिए एक या एक से अधिक स्कीमों के तहत जनता या जनता के किसी वर्ग को यूनितें बेचकर पैसा जुटाने के लिए न्यास (ट्रस्ट) के रूप में बनाया गया हो:”
- xiv. खंड (थ) के पश्चात् और खंड (द) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
 “(थक) “शुद्ध-मालियत” (नेटवर्थ) से समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) तथा खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) की कुल रकम में से विविध व्यय [जिन्हें बट्टे खाते न डाला (राइट ऑफ न किया) गया हो या समायोजित न किया गया हो] या आस्थगित राजस्व व्यय, अमूर्त आस्तियों (इन्टेंजिबल असेट्स) और संचित हानियों की रकम को घटाकर निकाली गई रकम अभिप्रेत है;”
- xv. खंड (न) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,
 “(न) “नातेदार” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(77) में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;”
- xvi. खंड (ब) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 “(ब) “प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों (प्रतिभूति विधियों / सिक्यूरिटीज़ लॉज़) से अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996] (1996 का 22), कोई अन्य कानूनी प्रावधान (जहाँ तक वह बोर्ड के दायरे में आता हो) और उनके तहत बनाए गए संबंधित नियम तथा विनियम (रेग्यूलेशन) अभिप्रेत हैं;”
- xvii. खंड (भ) में, शब्द “अकेले कार्य करने वाला या किसी अन्य निगमित निकाय”, शब्दों “अकेले या सामान्य मति से कार्य करने वाले निगमित निकाय” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- xviii. खंड (म) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 “स्पष्टीकरण: यदि म्यूचुअल फंड का न्यासी (ट्रस्टी) कोई न्यासी कंपनी हो और जहाँ कहीं भी एकल (इंडिविजुअल) न्यासियों के संबंध में प्रावधान लागू होने की बात हो, तो ऐसे में इन विनियमों के अनुसार शब्द “न्यासी” के दायरे में न्यासी कंपनी के बोर्ड के निदेशक भी आएंगे।”

xix. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्कूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996] (1996 का 22) अथवा उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।”

II. विनियम 7 में,

i. खंड (क) के स्पष्टीकरण का भाग (ii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(ii) यह सुनिश्चित करे कि ठीक पहले के सभी पाँच वर्षों में शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) धनात्मक हो; और”

ii. खंड (क) के स्पष्टीकरण का भाग (iii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(iii) यह सुनिश्चित करे कि प्रायोजक (स्पाँसर) ने आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) में जितनी पूँजी लगाने का प्रस्ताव किया हो उससे उसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) अधिक हो और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि शेयरों के अर्जन (एक्विज़िशन) के कारण यदि मौजूदा आस्ति प्रबंध कंपनी के नियंत्रण में कोई परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे में प्रायोजक (स्पाँसर) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) इस प्रकार अर्जित किए गए शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) [जो भी अधिक हो] से अधिक हो; और”

iii. खंड (क) के स्पष्टीकरण के भाग (iv) में, चिह्न “।”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

iv. खंड (क) के स्पष्टीकरण के भाग (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“परंतु यह कि यदि उपरोक्त अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) एक सौ करोड़ रुपये से कम की न हो।”

III. विनियम 16 के उप-विनियम (4) में,

i. चिह्न “:”, चिह्न “।” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ii. परंतुक का लोप हो जाएगा।

IV. विनियम 18 में,

i. उप-विनियम (11) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(11) प्रत्येक न्यासी (ट्रस्टी) प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) में किए गए अपने लेनदेनों (ट्रांज़ैक्शन) के ब्यौरे म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) के पास तिमाही आधार पर उतने समय के भीतर और उसी प्रकार प्रस्तुत करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

ii. उप-विनियम (18) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(18) न्यासी (ट्रस्टी) तिमाही आधार पर आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की समीक्षा करेंगे, ताकि विनियम 21 के उप-विनियम (1) के खंड (च) का हमेशा ही पालन सुनिश्चित हो सके।”

iii. उप-विनियम (23) के खंड (ग) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (2)”, शब्दों तथा चिहनों “खंड (ख)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

- iv. विनियम 18 के उप-विनियम (27) में, खंड (ii) एवं खंड (iv) में, शब्द “सहबद्धों”, शब्दों तथा चिह्नों “सहयोगियों (सहयुक्तों/असोसिएट्स)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

V. विनियम 21 के उप-विनियम (1) में,

- i. खंड (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(च) आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत पचास करोड़ रुपये से कम की न हो:

परंतु यह कि जहाँ प्रायोजक (स्पॉन्सर) आवेदन करते समय विनियम 7 के खंड (क) के स्पष्टीकरण के भाग (iv) में दी हुई अपेक्षाओं को पूरा न करता हो, वहाँ आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) से यह अपेक्षित होगा कि उसकी शुद्ध-मालियत एक सौ करोड़ रुपये से कम की न हो, और आस्ति प्रबंध कंपनी इतनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) तब तक बनाए रखेगी जब तक कि उसे लगातार पाँच वर्षों तक लाभ न हो:

परंतु यह और कि ऐसे म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) दस करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी, जो केवल अवसंरचना ऋण निधि स्कीमें (इन्फ्रास्ट्रक्चर डैट फंड स्कीम) लाने के लिए पात्र है।

स्पष्टीकरण: आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की गणना करते समय, आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा प्रायोजक (स्पॉन्सर), प्रायोजक के सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट) या उसकी समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी) अथवा आस्ति प्रबंध कंपनी की समूह कंपनी को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को नहीं गिना जाएगा।”

- ii. खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(छ) आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) हमेशा इस विनियम के खंड (च) के अनुसार बनी रहे।”

- VI. विनियम 22 के खंड (ड) में, शब्द “नियंत्रक हित”, शब्द “नियंत्रण” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

VII. विनियम 24 में, खंड (ख) में, पहले परंतुक में, खंड (vi) में,

- i. चिह्नों, शब्दों तथा अंक “, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर” का लोप हो जाएगा।

- ii. चिह्न “;”, चिह्न “:” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

VIII. विनियम 25 के उप-विनियम (18) में,

- i. चिह्न “:”, चिह्न “।” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. पहले और दूसरे परंतुक का लोप हो जाएगा।

IX. विनियम 28 के उप-विनियम (5) का लोप हो जाएगा।

- X. विनियम 31क में, शब्द “सूचीबद्ध एंटीटी”, शब्दों तथा चिह्नों “म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XI. विनियम 31ख के उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।

XII. विनियम 32 में,

- i. चिह्न “:”, चिह्न “।” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. विनियम 32 के परंतुक का लोप हो जाएगा।

XIII. विनियम 33 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) का लोप हो जाएगा।

XIV. विनियम 34 में, परंतुक का लोप हो जाएगा।

XV. विनियम 35 में,

i. उप-विनियम (3) और परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, -

“(3) उप-विनियम (2) के तहत आवेदकों को लौटाई (रिफंड की) जाने वाली कोई भी रकम अभिदान सूची (सब्सक्रिप्शन लिस्ट) के बंद होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों की अवधि के भीतर और उसी प्रकार लौटाई जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।”

ii. उप-विनियम (4) के परंतुक का लोप हो जाएगा।

XVI. विनियम 36 में,

i. उप-विनियम (1) और परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्,-

“(1) स्कीम के अंतर्गत जिस आवेदक का आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो, उसके पास यह विकल्प होगा कि वह या तो खाता विवरण (लेखा विवरण / स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट्स) प्राप्त करे या यूनिटों को डीमैट रूप में रखे, और आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) ऐसे आवेदक को यथाशीघ्र किंतु आरंभिक अभिदान सूची (इनिशियल सब्सक्रिप्शन लिस्ट) के बंद होने की तारीख से या आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर या तो खाता विवरण (लेखा विवरण / स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट्स) जारी करेगी (जिसमें आवेदक को आबंटित की गई यूनिटों की संख्या का जिक्र हो) या फिर डीमैट रूप में यूनिटें जारी करेगी।”

ii. उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।

iii. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(3) आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी), किसी स्कीम के यूनिटधारक से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, उसे डीमैट रूप में यूनिटें जारी करेगी।”

iv. उप-विनियम (4) और उप-विनियम (4) के पहले परंतुक में, शब्द तथा चिह्न “उत्तरवर्ती महीने के दसवें दिन को या उससे पहले,;” शब्दों “बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XVII. विनियम 37 के उप-विनियम (2) का परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि यूनिटें निक्षेपागार ((डिपॉज़िटरी) के पास हों, तो ऐसी यूनिटें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 [सेबी (डिपॉज़िटरीज़ एंड पार्टिसिपेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] के प्रावधानों के अनुसार अंतरित (ट्रांसफर) की जा सकेंगी।”

XVIII. विनियम 43 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ड) और खंड (च) में, चिह्न “;” के बाद दिए हुए शब्द “या” का लोप हो जाएगा।

ii. खंड (छ) में, अंत में चिह्न “;” अंतःस्थापित किया जाएगा।

iii. खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) अन्य कोई आस्तियाँ (असेट्स) या लिखतें (इंस्ट्रुमेंट्स) जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं।”

XIX. विनियम 49 में,

i. उप-विनियम (3) और परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, -

“यूनिटों की कीमत तय करते समय, म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) यह सुनिश्चित करेगी कि किसी असीमित अवधि वाली स्कीम (ओपन एंडेड स्कीम) की पुनःक्रय कीमत (रीपचेज प्राइस) शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के 95 प्रतिशत से कम न हो।”

ii. उप-विनियम (3क), (3ख) एवं (3ग) का लोप हो जाएगा।

XX. विनियम 50 के उप-विनियम (1) में, शब्दों “आस्ति प्रबंध कंपनी” के पश्चात् और शब्दों “समुचित लेखा बहियां” से पूर्व दिए हुए शब्दों “प्रत्येक स्कीम के लिए” का लोप हो जाएगा।

XXI. विनियम 53 में,

i. खंड (क) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(क) यूनिटधारकों को लाभांश के भुगतान रिकॉर्ड तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रेषित करेगी।”

ii. खंड (ग) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(ग) उप-खंड (क) एवं उप-खंड (ख) में निर्धारित की गई अवधि के भीतर मोचन (रिडेंप्शन) या पुनःक्रय की रकम (प्रोसीड्स) अथवा लाभांश के भुगतान प्रेषित न कर पाने पर, आस्ति प्रबंध कंपनी ऐसी दर पर यूनिटधारकों को ब्याज अदा करने की दायी होगी, जैसी इस प्रकार की गई देरी की अवधि के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए।”

iii. खंड (घ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(घ) उप-खंड (ग) के तहत यूनिटधारकों को इस प्रकार ब्याज अदा किए जाने के बाद भी, आस्ति प्रबंध कंपनी लाभांश या मोचन (रिडेंप्शन) या पुनःक्रय की रकम (प्रोसीड्स) निर्धारित समयावधि के भीतर प्रेषित न कर पाने की दशा में, शास्ति (पेनल्टी) के लिए दायी हो सकेगी।”

XXII. विनियम 55 के उप-विनियम (1) में, स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम और विनियम 66 के प्रयोजनार्थ, “लेखापरीक्षक” (ऑडिटर) से फर्म, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008) के तहत स्थापित सीमित दायित्व भागीदारी भी शामिल है, अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 के तहत कंपनी के लेखों (अकाउंट्स) की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) करने के लिए पात्र और योग्य (अर्हित) हो।”

XXIII. विनियम 58 के उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।

XXIV. विनियम 68 में, खंड (छ) के स्पष्टीकरण में, शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 1995”, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XXV. पहली अनुसूची के प्ररूप क में, खंड 8 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“8क. कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) से शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का हाल ही का प्रमाणपत्र”

XXVI. तीसरी अनुसूची का खंड 15 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“15. न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) को ऐसा कोई ऋण देने या किसी ऋण की गारंटी देने या ऐसा कोई कार्य आदि हाथ में लेने से मना करेगा, जिससे विनियमों का उल्लंघन होता हो।”

XXVII. तीसरी अनुसूची के खंड 17 में,

- i. परंतुक में, शब्द "तथापि" का लोप हो जाएगा और चिह्न ".", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. मौजूदा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि इस खंड के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहाँ विनियम 22(ड) के अनुसार आस्ति प्रबंध कंपनी के नियंत्रण में परिवर्तन होने के कारण न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में परिवर्तन हो रहा हो।"

XXVIII. चौथी अनुसूची के खंड (ii) में, शब्द, चिह्न तथा अंक "उप-विनियम (2)", शब्दों तथा चिह्नों "खंड (ख)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XXIX. पाँचवी अनुसूची में,

- i. खंड (3) में, शब्द "सहबद्धों", शब्दों तथा चिह्नों "सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट्स)" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- ii. खंड (5) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(5) न्यासी (ट्रस्टी) और आस्ति प्रबंध कंपनियाँ (असेट मैनेजमेंट कंपनी) यह सुनिश्चित करेंगी कि पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की प्रत्येक स्कीम की आस्तियाँ (असेट्स) और देयताएँ (लाइबिलिटी) उसकी दूसरी स्कीमों से पूरी तरह से अलग-अलग रहें; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खाते और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के खाते भी पूरी तरह से अलग-अलग रहें।"

XXX. छठी अनुसूची के खंड (झ) के पश्चात् और खंड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(झक) स्थानीय भाषा (भाषाओं) में जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में मानक चेतावनी खंड (झ) के अनुरूप स्थानीय भाषाओं में दी जाएगी।"

XXXI. सातवी अनुसूची में,

- i. खंड (1) के पहले परंतुक में, शब्द तथा चिह्न "संपार्श्विकीकृत (कलैटरलाइज़्ड) उधार लेन-देन संबंधी दायित्वों", शब्दों तथा चिह्नों "सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या खजाना हुंडियों (ट्रेज़री बिल्स) पर ट्राई-पार्टी रेपो" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ii. खंड (1) का तीसरा परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
"परंतु यह और कि ऐसी सीमा डैट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या किसी ऐसे दूसरे फंडों, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ, में निवेश करने के संबंध में लागू नहीं होगी।"
- iii. खंड 10 के परंतुक में, शब्दों "सूचकांक निधि" के पश्चात् और शब्दों "या सेक्टर" से पूर्व, शब्द तथा चिह्न "या एक्सचेंज व्यापारित निधि (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड)" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

XXXII. नवी अनुसूची के भाग क के खंड (ज) का लोप हो जाएगा।

XXXIII. दसवी अनुसूची का लोप हो जाएगा।

XXXIV. ग्यारहवी अनुसूची के खंड 2(क)(xi) का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4असा./489/ 2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - (1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - (2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ), द्वारा
 - (3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ), द्वारा
 - (4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.235 (अ), द्वारा
 - (5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.278 (अ), द्वारा
 - (6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.484 (अ), द्वारा
 - (7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
 - (8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
 - (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
 - (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
 - (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
 - (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
 - (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा
 - (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा
 - (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा
 - (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
 - (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा
- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/ 21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा
- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा

- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा
- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा
- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा
- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा
- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा
- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (53) 29 अक्टूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS)

(AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/08.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on 30th day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,—
 - I. regulation 2 shall be numbered as sub-regulation (1) of regulation 2 and in sub-regulation (1) of regulation 2 so numbered,
 - i. in sub-clause (i) of clause (c), after the word “trustee” and before the words and symbol “, as the case”, the words “or the sponsor” shall be inserted.
 - ii. in sub-clause (ii) of clause (c), after the word “trustee” and before the words and symbol “, directly or indirectly”, the words “or the sponsor” shall be inserted.
 - iii. in sub-clause (iii) of clause (c), after the words “whose director” and before the words and symbol “, officer or employee”, the words “except an independent director” shall be inserted.
 - iv. clause (d) shall be substituted with the following clause, namely, -

“(d) “asset management company” means a company formed and registered under the Companies Act 1956 (1 of 1956) or Companies Act, 2013 (18 of 2013) and approved by the Board under sub regulation (2) of regulation 21;”
 - v. in clause (e), the words and symbol “(Stock Brokers and Sub-brokers) Rules, 1992” shall be substituted with the words and symbol “(Stock Brokers) Regulations, 1992”.
 - vi. in clause (ea), the word “endeavour’s” shall be substituted with the word “endeavours”.
 - vii. in sub-clause (i) of clause (g), the words “or combination of persons” shall be substituted with the words and symbol “, either individually or together with persons acting in concert,”.
 - viii. in sub-clause (ii) of clause (g), the words “or combination of persons” shall be substituted with the words and symbol “, either individually or together with persons acting in concert,”.
 - ix. in clause (j), the words “Limitation of Prosecution” shall be substituted with the words “Inapplicability of Limitation”.
 - x. after clause (j) and before clause (k), the following clauses shall be inserted, namely, -

“(ja) “equity related instruments” include convertible debentures, convertible preference shares, warrants carrying the right to obtain equity shares, equity derivatives and such other instrument as may be specified by the Board from time to time;

“(jb) “exchange traded fund” means a mutual fund scheme that invests in securities in the same proportion as an index of securities and the units of exchange traded fund are mandatorily listed and traded on exchange platform;”
 - xi. clause (m) shall be substituted with the following clause, namely, -

“(m) “fraud” means a fraud as defined in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations, 2003;”
 - xii. clause (mm) shall be substituted with the following clause, namely, -

“(mm) “group” means a group as defined in clause (b) of the Explanation to Section 5 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003).”

- xiii. clause (q) shall be substituted with the following clause, namely, -
“(q) “mutual fund” means a fund established in the form of a trust to raise monies through the sale of units to the public or a section of the public under one or more schemes for investing in securities, money market instruments, gold or gold related instruments, real estate assets and such other assets and instruments as may be specified by the Board from time to time.”
- xiv. after clause (q) and before clause (r), the following clause shall be inserted, namely, -
“(qa) “networth” means the aggregate of the paid up capital and free reserves after deducting therefrom, miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted or deferred revenue expenditure, intangible assets and accumulated losses;”
- xv. clause (t) shall be substituted with the following clause, namely,
“(t) “relative” means a person as defined in section 2(77) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”
- xvi. clause (w) shall be substituted with the following clause, namely, -
“(w) “securities laws” means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the provision of any other law to the extent it is administered by the Board and the relevant rules and regulations made thereunder;”
- xvii. in clause (x), the words “acting alone or in combination” shall be substituted with the words “acting individually or in concert”.
- xviii. in clause (y), the following explanation shall be inserted, namely, -
“Explanation: In the event the trusteeship of the mutual fund is with a trustee company, wherever the context requires applicability of provisions for individual trustees, the term “trustees” under these regulations shall be deemed to mean the directors of board of the trustee company.”
- xix. after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely, -
“(2) the words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.”

II. In regulation 7,

- i. in part (ii) of Explanation to clause (a), the words “ensure that” shall be inserted before the words “the networth”.
- ii. part (iii) of Explanation to clause (a) shall be substituted with the following, namely, -
“(iii) ensure that the networth is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the asset management company and ensure that in case of change in control of the existing asset management company due to acquisition of shares, the networth of the sponsor is more than the aggregate par value or market value of the shares so acquired, whichever is higher; and”
- iii. in part (iv) of Explanation to clause (a), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”
- iv. after part (iv) of Explanation to clause (a), the following proviso shall be inserted, namely, -
“Provided that the applicant shall have a networth not less than rupees one hundred crore in case the aforementioned requirement is not fulfilled.”

III. In sub-regulation (4) of regulation 16,

- i. the symbol “:” shall be substituted with the symbol “.”
- ii. proviso shall be omitted.

- IV. In regulation 18,
- i. in sub-regulation (11), after the words “quarterly basis”, the words and symbol “, within the time and manner as may be specified by the Board from time to time” shall be inserted.
 - ii. sub-regulation (18) shall be substituted with the following, namely, -

“(18)The trustees shall on a quarterly basis review the networth of the asset management company to ensure compliance with the threshold provided in clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 21 on a continuous basis”.
 - iii. in clause (c) of sub-regulation (23), the words and symbol “sub-regulation (2)” shall be substituted with the words and symbol “clause (b)”.
 - iv. in sub-regulation (27) of regulation 18, in clauses (ii) and (iv), the word “affiliates” shall be substituted with the word “associates”.
- V. In sub-regulation (1) of regulation 21,
- i. clause (f) shall be substituted with the following, namely, -

“(f) the asset management company has a networth of not less than rupees fifty crore:

Provided that where the sponsor does not fulfil the requirements provided in part (iv) of the Explanation to clause (a) of regulation 7 at the time of making application, the asset management company shall be required to have a networth of not less than rupees one hundred crore and the asset management company shall maintain such networth till it has profits for five consecutive years:

Provided further that an asset management company of a mutual fund eligible to launch only infrastructure debt fund schemes, shall have a networth of not less than rupees ten crore.

Explanation: Loans and advances given by asset management company to either sponsor, associates or group company of sponsor and associates or group company of asset management company shall be excluded while computing the networth of the asset management company.”
 - ii. after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

“(g) The networth of the asset management company as required under clause (f) of this regulation shall be maintained on a continuous basis.”
- VI. In clause (e) of Regulation 22, the words “controlling interest” shall be substituted with the word “control”.
- VII. In regulation 24, in clause (b), in the first proviso, in clause (vi),
- i. the words and symbol “, within a period of six months from the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011” shall be omitted.
 - ii. the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”
- VIII. In sub-regulation (18) of regulation 25,
- i. the symbol “:” shall be substituted with the symbol “.”
 - ii. the first and second proviso shall be omitted.
- IX. Sub-regulation (5) of regulation 28 shall be omitted.
- X. In regulation 31A, the words “listed entity” shall be substituted with the words “mutual fund”.
- XI. Sub-regulation (2) of regulation 31B shall be omitted.
- XII. In regulation 32,
- i. the symbol “:” shall be substituted with the symbol “.”
 - ii. proviso to regulation 32 shall be omitted.
- XIII. Clause (c) of sub-regulation 3 of regulation 33 shall be omitted.
- XIV. In regulation 34, the proviso shall be omitted.

- XV. In regulation 35,
- i. sub-regulation (3) and proviso shall be substituted with the following, namely, -
“(3) Any amount to be refunded to the applicants under sub-regulation (2) shall be refunded within a period of five working days from the date of closure of subscription list and in the manner as may be specified by the Board from time to time”.
 - ii. proviso to sub-regulation (4) shall be omitted.
- XVI. In regulation 36,
- i. sub-regulation (1) and provisos shall be substituted with the following, namely,-
“(1) An applicant in a scheme whose application has been accepted shall have the option either to receive the statement of accounts or to hold the units in dematerialised form and the asset management company shall issue to such applicant, a statement of accounts specifying the number of units allotted to the applicant or issue units in the dematerialized form as soon as possible but not later than five working days from the date of closure of the initial subscription list or from the date of receipt of the application.”
 - ii. sub-regulation (2) shall be omitted.
 - iii. sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -
“(3) The asset management company shall issue units in dematerialized form to a unit holder in a scheme within two working days of the receipt of request from the unit holder.”
 - iv. in sub-regulation (4) and first proviso to sub-regulation (4), the words *“on or before tenth day of succeeding month”* shall be substituted with the words *“as per the timeline specified by the Board from time to time”*.
- XVII. In the proviso to sub-regulation (2) of regulation 37, the words and the number *“the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996”* shall be substituted with words and the number *“the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018”*.
- XVIII. In sub-regulation (1) of regulation 43,
- i. in clauses (e) and (f) the word *“or”* shall be omitted.
 - ii. in clause (g), the symbol *“.”* shall be substituted with the symbol *“;”*.
 - iii. after clause (g), the following clause shall be inserted, namely,-
“(h) any other assets or instruments as may be specified by the Board from time to time.”
- XIX. In regulation 49,
- i. sub-regulation (3) and provisos shall be substituted with the following, namely, –
“(3) While determining the price of the units, the mutual fund shall ensure that the repurchase price of an open ended scheme is not lower than 95 per cent of the Net Asset Value.”
 - ii. sub-regulations (3A), (3B) and (3C) shall be omitted.
- XX. In sub-regulation (1) of regulation 50, after the words *“asset management company”* and before the words *“shall keep”*, the words *“for each scheme”* shall be omitted.
- XXI. In regulation 53,
- i. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely, -
“(a) despatch to the unitholders the dividend payments within 15 days from the record date.”
 - ii. in clause (c) after the word *“proceeds”* and before the word *“within”*, the words *“or dividend payments”* shall be inserted.
 - iii. in clause (c) after the words *“specified in”* and before the words and symbol *“(b), the asset management company”*, the words *“sub-clause”* shall be substituted with the words and symbol *“sub-clauses (a) and”*.
 - iv. in clause (d) after the words *“despatch the”* and before the words *“redemption or”*, the words *“dividend or”* shall be inserted.

- XXII. In sub-regulation (1) of regulation 55, the Explanation shall be substituted with the following, namely, -
“Explanation: For the purposes of this sub-regulation and regulation 66 “auditor” means a firm, including a limited liability partnership, constituted under the LLP Act, 2008, who is eligible and qualified to audit the accounts of a company under section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).”
- XXIII. Sub-regulation (2) of regulation 58 shall be omitted.
- XXIV. In regulation 68, in Explanation to clause (g), the words and number “the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations 1995” shall be substituted with words and number “the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations 2003”.
- XXV. After clause 8 in Form A of the First Schedule, the following clause shall be inserted, namely,-
“8A. Latest networth certificate from the statutory auditor”
- XXVI. In clause 15 of the Third Schedule, the word “not” shall be substituted with the words “which is”.
- XXVII. In clause 17 of the Third Schedule,
 i. in the proviso, the word “however” shall be omitted and the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”
 ii. after the existing proviso, the following shall be inserted, namely, -
“Provided further that the provisions of this clause shall not be applicable in case of change in trust deed consequential to change in control of asset management company as per Regulation 22 (e).”
- XXVIII. In clause (ii) of the Fourth Schedule, the words and symbol “sub-regulation (2)” shall be substituted with the words and symbol “clause (b)”.
- XXIX. In the Fifth Schedule,
 i. in clause (3), the word “affiliates” shall be substituted with the word “associates”.
 ii. clause (5) shall be substituted with the following clause, namely, -
“(5) Trustees and asset management companies shall ensure that the assets and liabilities of each scheme are segregated and ring-fenced from other schemes of the mutual fund; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ring-fenced.”
- XXX. After clause (i) and before clause (j) of the Sixth schedule, the following clause shall be inserted, namely, -
“(ia) Advertisements in vernacular language(s) shall contain the standard warning as specified in clause (i) in the vernacular language.”
- XXXI. In the Seventh Schedule,
 i. in the first proviso to clause (1), the words “collateralized borrowing and lending obligations” shall be substituted with the words “triparty repo on Government securities or treasury bills”.
 ii. the third proviso to clause (1) shall be substituted with the following, namely,-
“Provided further that such limit shall not be applicable for investments in case of debt exchange traded funds or such other funds as may be specified by the Board from time to time.”
 iii. in the proviso to clause 10, after the word “fund” and before the words “or sector”, the words “or exchange traded fund” shall be inserted.
- XXXII. Clause (j) of PART A of Ninth Schedule shall be omitted.
- XXXIII. Tenth Schedule shall be omitted.
- XXXIV. Clause 2(a)(xi) of Eleventh Schedule shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman,
 [ADV.T.-III/4/Exty./489/2020-21]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—
 - (1) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
 - (2) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
 - (3) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
 - (4) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
 - (5) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
 - (6) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
 - (7) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
 - (8) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
 - (9) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
 - (10) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).
 - (11) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).
 - (12) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
 - (13) on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).
 - (14) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
 - (15) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
 - (16) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
 - (17) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
 - (18) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
 - (19) on May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).
 - (20) on August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
 - (21) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
 - (22) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
 - (23) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.

- (24) on October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) on April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) on May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (28) on September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) on April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.
- (30) on June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) on July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
- (32) on August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.
- (33) on February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) on 26th September, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) on 16th April, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.
- (36) on 19th June, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) on 19th August, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) on 6th May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.
- (39) on 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (40) on 30th December, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) on 15th May, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) on 12th February, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.
- (43) on 15th February, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) on 13th March, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/02.
- (45) on 30th May, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14.
- (46) on 6th December, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) on 13th December, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) on 1st January, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.

- (49) on 26th April, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/011.
- (50) On 23rd September, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) On 06 March, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07.
- (52) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (53) On 29 October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.